संख्या–12/1/1979-कार्मिक–1

प्रेषक

श्री त्रिभुवन प्रसाद,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष,
एवम् प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः दिनांक 15 दिसम्बर, 1980

विषयः––राज्याधीन सेवा के कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र देने के विषय में ।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–1

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवा के कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा प्रमाणित करने अथवा उसके रोके जाने के बारे में समय-समय पर महत्वपूर्ण नीति विषयक शासनादेश जारी किये जाते रहे हैं । इस प्रसंग पर एक विस्तृत आदेश दिनांक 28–12–1959 को जारी किया गया था । उक्त शासनादेश में उल्लेखित प्रस्तर-2(1) के अनुसार सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र देने के संबंध में जो शब्दावली निर्धारित की गई हैं वह निम्नवत् हैः––

"Nothing has come to my knowledge which casts any reflection on the integrity of ————. His general reputation for honesty is good and I certify his integrity."

2––उक्त शब्दावली से कभी-कभी यह भ्रम उत्पन्न होता है कि जब किसी अधिकारी/कर्मचारी की सत्यनिष्ठा के बारे में बहुत सी शिकायतें मिलती हैं, परन्तु उनका साबित किया जाना कठिन होता है, तो ऐसी दशा में सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र का जो पहला अंश है उसका उल्लेख करने में रिपोर्टिंग अधिकारी को कुछ कठिनाई प्रतीत होती है और यह देखने में आया है कि कुछ रिपोर्टिंग अधिकारी शब्दावली का प्रयोग न करके कुछ इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे यह आभास होता है कि सत्यनिष्ठा मजबूरन प्रमाणित कर दी गई है । वास्तव में सत्यनिष्ठा प्रमाणित करने के लिये जो शब्दावली निर्धारित की गयी है, उसमें मजबूरन सत्यनिष्ठा प्रमाणित करने की कल्पना नहीं की गई थी और न यह मंशा ही है । लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी मामले देखने में आते हैं जबकि अधिकारियों के बारे में शिकायतें भी मिली हैं और इसका यह असर होता है कि ईमानदार और निष्ठावान कर्मचारी को कभी-कभी भ्रष्ट अधिकारियों की कोटि में रखा जाता है और उन्हें विभागीय संरक्षण भी प्राप्त नहीं होता है ।

3––उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शासन ने गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि सत्यनिष्ठा के मामलों में रिपोर्टिंग अधिकारी का मार्ग दर्शन करने के लिये निम्न व्यवस्था लागू की जायः––

(1) जब रिपोर्टिंग/अधिकारी का स्पष्ट मन्तव्य सत्यनिष्ठा प्रमाणित करने का हो, तो स्पष्ट रूप से यह लिखा जाना चाहिये कि सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है । इसमें किसी प्रकार की द्विविधा की स्थिति नहीं होनी चाहिये । रिपोर्टिंग अधिकारी के सामने जो भी विवरण अथवा तथ्य हों, उन्हें ध्यान में रखते हुए अपनी राय कायम करनी चाहिये और यदि सत्यनिष्ठा प्रमाणित करनी हो तो उस दशा में निम्नांकित प्रारूप उपयुक्त होगाः––

"His general reputation for honesty is good and I certify his integrity"

(2) जब रिपोर्टिंग अधिकारी के पास ऐसे विवरण और तथ्य हों जिनके बारे में अन्तिम राय कायम की जानी हो, तो उस दशा में दिनांक 28–12–1959 के शासनादेश के प्रस्तर-2(2) में दिये गये निर्देशानुसार स्थिति स्पष्ट कराई जानी चाहिये और उसके बाद यदि रिपोर्टिंग अधिकारी सन्तुष्ट हों कि संबंधित अधिकारी की ईमानदारी की ख्याति वास्तविक रूप से ठीक नहीं है तो उस दशा में निम्नलिखित प्रारूप में प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिये:––

"The reputation of Sri———————————————for honesty is not good and I withhold his integrity."

डि० पी० जग

(3) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सत्यनिष्ठा के बारे में जांच की जा रही हो, तो ऐसी दशा में रिपोर्टिंग अधिकारी को सत्यनिष्ठा प्रमाणित करने अथवा सत्यनिष्ठा अप्रमाणित करने के बजाय यह इंगित कर देना चाहिए कि प्रश्नगत मामले में जांच की जा रही है । जांच पूरी हो जाने पर जांच का परिणाम देखने के उपरान्त सत्यनिष्ठा को प्रमाणित अथवा अप्रमाणित किया जाना चाहिये ।

4--आपसे अनुरोध है कि कृपया इस प्रकार के मामलों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

भवदीय,
त्रिभुवन प्रसाद,
मुख्य सचिव ।

संख्या-12/(1)/1-1979-कार्मिक-1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1--शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव/उप सचिव/अनु सचिव ।
2--सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3--माननीय राज्यपाल के सचिव, उत्तर प्रदेश ।
4--सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
5--समस्त मंत्री/राज्य मंत्री के निजी सचिव ।
6--रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ ।
7--महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,
ब्रज मोहन जोशी,
उप सचिव ।

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0--21 सा0 नियुक्ति-31-12-80(3174)--1980--8,500(हि0) ।